उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– ——/बीस–4/2018–1(54)/2018
देहरादून : दिनांक 13 अगस्त, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी रणजीत लाल (आयु 67 वर्ष) पुत्र घपनलाल, निवासी ऐंठी, पट्टी–चोपड़ाकोट, पौड़ी गढ़वाल को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–03/1999 के अन्तर्गत धारा 302/34 भा0द0स0, 1860 के अपराध के लिये दिनांक 04.12.2001 को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बन्दी रणजीत लाल वर्तमान में सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, उधमसिंहनगर में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांकः 30.06.2018 तक अपरिहार/वास्तविक सजा 19 वर्ष 09 माह 21 दिन भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी रणजीत लाल द्वारा कारित अपराध के सापेक्ष कारागार में भोगी गयी 19 वर्ष 09 माह 21 दिन की वास्तविक सजा, जिला/कारागार प्रशासन की संस्तुति, वृद्धावस्था, उसके सदाचरण तथा विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत् रखते हुये लोकहित में ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बन्दी रणजीत लाल को शेष अवधि के लिए परिहार देते हुये कारागार से रिहा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– श्री राज्यपाल यह भी निदेश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी रणजीत लाल पुत्र घपन लाल किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1320 (1)/बीस–4/2018–1(54)/2018, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4–महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5–मा0 सत्र न्यायाधीश, उधमसिंहनगर/पौड़ी गढ़वाल।
6–जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर/पौड़ी गढ़वाल।
7–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर/पौड़ी गढ़वाल।
8–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर/पौड़ी गढ़वाल।
9–अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, उधमसिंहनगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
10–मार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– ——/बीस–4/2018–1(54)/2018
देहरादून : दिनांक 13 अगस्त, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी शशि भूषण (आयु 73 वर्ष) पुत्र मथुरानाथ बंगाली निवासी ग्राम–चन्दन नगर, थाना–रूद्रपुर वर्तमान दिनेशपुर, उधमसिंहनगर को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 (द्वितीय), नैनीताल द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–236/1981 के अन्तर्गत धारा 302/34 भा0द0सं0, 1860 के अपराध के लिये दिनांक 21.10.1982 को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बन्दी शशि भूषण वर्तमान में सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, उधमसिंहनगर में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांकः 30.06.2018 तक अपरिहार/वास्तविक सजा 14 वर्ष 01 माह 07 दिन भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी शशि भूषण द्वारा कारित अपराध के सापेक्ष कारागार में भोगी गयी 14 वर्ष 01 माह 07 दिन की वास्तविक सजा, जिला/कारागार प्रशासन की संस्तुति, वृद्धावस्था, उसके सदाचरण तथा विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत् रखते हुये लोकहित में "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बन्दी शशि भूषण को शेष अवधि के लिए परिहार देते हुये कारागार से रिहा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– श्री राज्यपाल यह भी निदेश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी शशि भूषण पुत्र मथुरानाथ बंगाली किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1321 (1)/बीस–4/2018–1(54)/2018, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4–महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5–मा0 सत्र न्यायाधीश, उधमसिंहनगर/नैनीताल।
6–जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर/नैनीताल।
7–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर/नैनीताल।
8–मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 (द्वितीय), नैनीताल।
9–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर।
10–अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, उधमसिंहनगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।